

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

लिंक रोड नंबर 3, माधवराव सप्रे मार्ग ,भोपाल- 462003

क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सेल-1 /2022/3246

भोपाल, दिनांक: 17/05/2022

//आदेश//

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के समसंख्यक आदेश क्रमांक क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./सेल-1 /2021/ 800 दिनांक 07/10/ 2021 द्वारा 2642 संविदा स्टॉफ नर्स जो कि सेम्स लिमिटेड के माध्यम से चयनित की गई थी उनके नियुक्ति आदेश प्रसारित किये गये थे।

उक्त आदेश के पालन में समय सीमा में कार्यभार ग्रहण न करने वाली 07 संविदा स्टॉफ नर्स से हुये रिक्त पदों को भरने हेतु सेम्स लिमिटेड के माध्यम से संवर्गवार मेरिट सूची प्राप्त की गई जिसके आधार पर चयनित 07 संविदा स्टॉफ नर्स को प्रतीक्षा सूची के आधार पर मासिक मानदेय 20,000/- प्रतिमाह के आधार पर संविदा नियुक्ति आदेश प्रसारित किये जाते हैं:-

Sno	Applicati on Id	Name	Father/ Husband Name	Gen der	Catego ry	PH:	Merit Rank	Selection Remark	Allocated Institution / District Name
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	88634	Shiv Kumar Pathak	Jay Narayan Pathak	Male	UR	N/A	2061	Shortlisted-WL-UR-O-1	CH Nasrullaganj District_Sehore
2	54281	Ajay Kumar Tiwari	Ramashankar Tiwari	Male	UR	N/A	2075	Shortlisted-WL-UR-O-2	CH Nasrullaganj District_Sehore
3	37791	Amit Phillip	Rajendra Phillip	Male	UR	N/A	2128	Shortlisted-WL-UR-O-3	CH Nasrullaganj District_Sehore
4	67881	Vivek Dhar Dwivedi	Mahendramani Dhar Dwivedi	Male	UR	N/A	2129	Shortlisted-WL-UR-O-4	CH Nasrullaganj District_Sehore
5	77931	Vicky Kumar Goyal	Mohan Lal Goyal	Male	UR	N/A	2140	Shortlisted-WL-UR-O-5	CH Nasrullaganj District_Sehore
6	52551	Shafik Khan	Jamil Khan	Male	UR	N/A	2144	Shortlisted-WL-UR-O-6	CH Nasrullaganj District_Sehore
7	138318	Saurabh Gupta	Pradeep Gupta	Male	UR	N/A	2168	Shortlisted-WL-UR-O-7	CH Nasrullaganj District_Sehore

संविदा सेवा शर्तें निम्नानुसार रहेगी :-

1. संविदा सेवा की शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के संविदा मानव संसाधन मैनुअल वर्ष-2021 (संशोधित) के अनुरूप होगी।
2. संविदा पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक (दिनांक 31 मार्च 2023) के लिये अनुबंध होगा।
3. वार्षिक कार्य आधारित मूल्यांकन में योग्य पाये जाने पर मानव संसाधन के मैनुअल के अनुरूप संविदा अनुबंध को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. द्वारा स्वीकृत अवधि के लिये बढ़ाया जा सकेगा।
4. संविदा अनुबंध के आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावे स्वीकार्य नहीं होंगे।
5. संविदा स्टॉफ नर्स को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थित होना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त माना जायेगा।
6. संविदा स्टॉफ नर्स को उपस्थिति पश्चात 07 दिवस के अन्दर जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
7. यदि अपरिहार्य स्थिति में पदभार ग्रहण करने में विलंब होता है तो संविदा स्टॉफ नर्स द्वारा मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
8. संविदा स्टॉफ नर्स द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के साथ गैर न्यायिक बंधपत्र (जिसकी राशि मध्यप्रदेश शासन के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुरूप होगी) पर अनुबंध निष्पादित किया जाना होगा।
9. प्रथम संविदा पर चिकित्सकीय जांच- नियुक्ति के समय अभ्यर्थी द्वारा मेडिकल फिटनेस हेतु स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा बोर्ड द्वारा किये गये चिकित्सकीय परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर ही संविदा नियुक्ति वैध होगी।
10. अनुबंध उपरांत संविदा स्टॉफ नर्स को उनके पदस्थापना स्थल पर निवास करना अनिवार्य होगा।
11. संविदा संविदा स्टॉफ नर्स को शासन के समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेना होगा ऐसे कार्यक्रमों में भाग नहीं लेना कदाचार माना जायेगा।
12. संविदा स्टॉफ नर्स द्वारा कदाचरण करने अथवा किसी आपराधिक कृत्य में लिप्त होने पर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

127

13. संविदा स्टॉफ नर्स राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होंगे।
14. मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में संविदा स्टॉफ नर्स द्वारा लिखित पूर्वानुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की जाना होगी।

(प्रियंका दास)

मिशन संचालक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक- 17/05/2022

पृ.क/एनएचएम/एच.आर./सेल-1/2022/3246

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
3. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
4. अपर संचालक नर्सिंग, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
5. संचालक, एनएचएम, म.प्र.।
6. संचालक वित्त एनएचएम मध्यप्रदेश।
7. कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति सीहोर मध्यप्रदेश।
8. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, एन.एच.एम. म.प्र.।
9. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ भोपाल, म.प्र.।
10. उप संचालक, मानव संसाधन/लीगल/मातृत्व स्वास्थ्य/शिशु स्वास्थ्य पोषण / आरबीएसके / शिशुस्वास्थ्य / एन.सी.डी./एच.डब्ल्यू. सी., एनएचएम मध्यप्रदेश।
11. उप संचालक आई.टी. एनएचएम की ओर भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीहोर की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित संविदा स्टॉफ नर्स के उपस्थिति उपरान्त दस्तावेज मिलान की सुविधा हेतु सेम्स लिमिटेड के ई-मेल के माध्यम से यू.आर.एल. लिंक भेजी जावेगी। यू.आर.एल. के माध्यम से संबंधित अभ्यर्थी के दस्तावेजों को डाउनलोड किया जा सकता है, जिसमें सेम्स लिमिटेड पोर्टल पर अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय अपलोड किये दस्तावेज हैं। इन दस्तावेजों का मिलान संविदा स्टॉफ नर्स द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजों से करना सुनिश्चित करें एवं मूल दस्तावेजों की प्रामाणिकता भी देखी जावे। यह विशेष उल्लेखनीय है कि यू.आर.एल. केवल कार्यालयीन उपयोग के लिए है, जिसकी उपयोग की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी साथ ही संविदा स्टॉफ नर्स की कार्य पर उपस्थिति की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करें।
13. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक सीहोर मध्यप्रदेश।
14. Mr. Gautamnath (MD & CEO), Strategic Alliance Management Service Pvt. Ltd, 1/1-B Ground Floor, Chaudhury Hetram House, Bharat Nagar, New Friends Colony, Near Mata Ka Mandir, New Delhi - 110025 की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि सेम्स लिमिटेड के पोर्टल पर अपलोड करें एवं संबंधित को तामिल करावे तथा संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को संबंधित संविदा स्टॉफ नर्स के दस्तावेज मिलान हेतु यू.आर.एल. लिंक भेजे।
15. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, सीहोर एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
16. आदेश नस्ती।

मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
मध्यप्रदेश